

14-2-2022


पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरौही उपस्थित। गैरसायल पूना पुत्र मोती, जाति- गरासिया, निवासी- सियावा, पुलिस थाना रिको आबूरोड़ उपस्थित। गैरसायल की ओर से वकील सीमा खत्री ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में सहायक अभियोजन अधिकारी एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान इस्तागासा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया। गैरसायल वर्तमान में मजदूरी करके शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है। गैरसायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है तथा गैरसायल से किसी को भय नहीं है। गैरसायल मजदूरी करके अपना व परिवार का भरण पोषण करता है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 15.5.2019 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल पूना पुत्र मोती, जाति- गरासिया, निवासी- सियावा, पुलिस थाना रिको आबूरोड़ के विरुद्ध पुलिस थाना आबूरोड़ सदर में 16 व पुलिस थाना रिको आबूरोड़ में 2 मुकदमें दर्ज हुये, जिनमें से 14 मुकदमों में आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 के तहत दर्ज हुये तथा 3 मुकदमें भारतीय दण्ड संहिता के तहत व एक मुकदमा
....लगातार

प्रति, जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही-307001



LTC
YHT
Dec 19



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं.09/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हए
----------------	---	---

आमर्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना, आबूरोड़ सदर में आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 के तहत दर्ज मुकदमा संख्या 253/16.7.2015 व 206/18.7.2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त मुकदमा संख्या 253/16.7.2015 व 206 दिनांक 18.7.2017 में बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.9.2019 व 27.2.2019 के अनुसार गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(III) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल अवैध शराब विक्रय करने संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 15.5.2019 के बाद कोई मुकदमा दर्ज होने की साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुए गैरसायल पूना पुत्र मोती, जाति- गरासिया, निवासी- सियावा, पुलिस थाना रीको, जिला- सिरौही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 30 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, रीको आबूरोड़ से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, रीको आबूरोड़ की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नहीं देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय/आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, रीको आबूरोड़ को प्रेषित की जावे।

(के.आर.खौड)

अति. जिला मजिस्ट्रेट,
सिरौही

